उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-40/2017-18

चन्द्रमोहन महतो वगै0

बनाम्

दिनेश महतो एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक 20.5.21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता चन्द्रमोहन महतो, पे0–स्व0 ठाकुर महतो वो नीलकंठ महतो, पे0–स्व0 लखीराम महतो, सा0–मुरलीडीह, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–84/15–16 आदेश दिनांक–13.05.17 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–84/15–16 आदेश दिनांक–13.05.17 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–मुरलीडीह जमावंदी सं0–03 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गजाधर महतो के नाम से दर्ज है। गत जमाबंदी रैयत का वंशावली निम्न प्रकार है :–

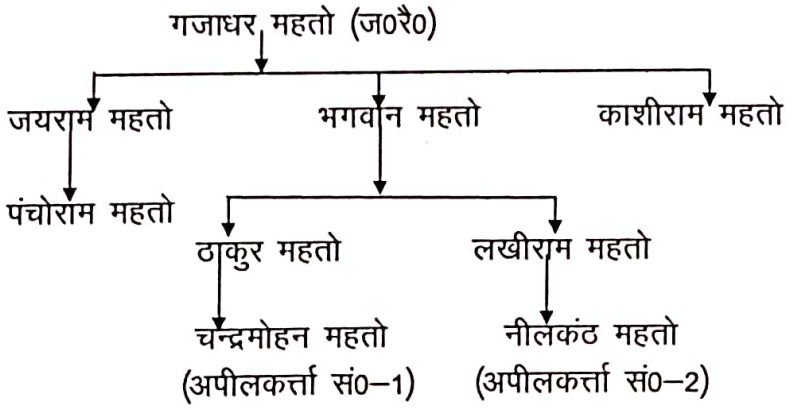

उनका आगे कथन है कि उक्त जमाबंदी सं0–03 के अन्तर्गत रकवा 02–00–18 धुर जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–260/31–32 के द्वारा जमाबंदी रैयत के चचेरी बहन मो0 धुंधिया पति–स्व0 मुसाफिर महतो के नाम से बंदोवस्त किया गया है तथा मो0 धुंधिया को न्यायालय से दखल दिहानी दिलाया गया और तब से अपने

जीवन काल तक दखलकार रही। मो0 धुंधिया की मृत्यु नावल्द हो गयी। उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम से बंदोवस्त जमीन मूल रैयत को वापस हो गया तथा मूल रैयत उसपर दखलकार हुए और लगातार दखलकार रहें हैं। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के पूर्वज के गरीब एवं अनपढ़ रहने के कारण उत्तरवादी के पूर्वज ने कुछ दिन पूर्व उक्त जमीन से संबंधित कागजात एवं लगान रसीद का व्यवस्था किया तथा मो0 धुंधिया के वंशज के आधार पर उक्त जमीन पर दावा करते हुए जमीन पर पुनः कब्जा कर जोत आबाद करना शुरू कर दिया। लेकिन मो0 धुंधिया के पति–मुसाफिर महतो से कोई औलाद नहीं था। उत्तरवादी की ओर से गलत दावा किया गया है कि पहले पति मुसाफिर महतो की मृत्यु के बाद मो0 धुंधिया ने केदार महतो से दुसरी शादी की थी और मो0 धुंधिया को केदार महतो से दो पुत्र भगवान महतो वो रूपनारायण महतो एवं एक पुत्री कौशिल्या देवी हुए। लेकिन उत्तरवादी का दावा बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि भगवान महतो, रूपनारायण महतो एवं कौशिल्या देवी, पोखनी देवी पति–केदार महतो के पुत्र एवं पुत्री है। मतदाता सूची में भी पोखनी देवी, पति–केदार महतो का नाम दर्ज है। मो0 धुंधिया पति–केदार महतो का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी का यह कथन भी सत्य नहीं है कि अपीलकर्त्ता के पूर्वज लखीराम महतो, ठाकुर महतो, जयराम महतो एवं काशी महतो की ओर से टाईटल सूट नं0–9/1947 मु0 धुंधिया के विरूद्ध दायर किया गया था। उक्त टाईटल सूट खारिज होने के बाद टाईटल अपील नं0–41/1947 दायर किया गया था जो खारिज हो गया। लेकिन 1947 ई0 में जयराम महतो एवं काशीराम महतो जीवित नहीं थे। निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के द्वारा उठाये गये तथ्यों पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट–5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन के तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को पक्ष रखने के नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–मुरलीडीह जमाबंदी सं0–03 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गजाधर महतो के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत के पुत्र भगलू महतो, पंचाराम महतो एवं काशीराम महतो के द्वारा उक्त जमाबंदी सं0–03 का मालगुजारी भुगतान नहीं

करने के कारण मालगुजारी राशि के वसूली के लिए तत्कालिन जमीनदार राजा के0एन0 सिंह के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आर0ई0आर0 केश नं0–260/31–32 दायर किया गया था। बकाया मालगुजारी की राशि का भुगतान नहीं करने के कारण भगलू महतो, पांचुराम महतो एवं काशीराम महतो को उक्त जमाबंदी की जमीन से उच्छेद किया गया एवं मो0 धुंधिया के द्वारा उक्त जमाबंदी का मालगुजारी का बकाया राशि का भुगतान किये जाने के कारण उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत कुल रकवा 03–00–18 धुर जमीन आदेश दिनांक–28.03.1933 के द्वारा मो0 धुंधिया के साथ बंदोवस्ती की गयी तथा बंदोवस्ती के बाद अमीन के द्वारा दखल दिहानी भी मो0 धुंधिया को दिलाया गया। मो0 धुंधिया के नाम से बंदोवस्त जमीन को नामांतरण किया गया और मो0 धुंधिया के नाम से जमाबंदी सं0–03/32 कायम होकर मो0 धुंधिया के नाम से माल गुजारी रसीद भी कटता आ रहा है एवं उनकी मृत्यु के बाद उत्तरवादीगण के नाम से मालगुजारी सरीद कटता है। उनका आगे कथन है कि मो0 धुंधिया को मुसाफिर महतो से कोई औलाद नहीं हुआ था। मुसाफिर महतो की मृत्यु के कुछ समय के पश्चात मो0 धुंधिया ने केदार महतो के साथ पुनः शादी किया। मो0 धुंधिया को पति केदार महतो से दो पुत्र भगवान महतो एवं रूपनारायण महतो तथा एक पुत्री कौशिल्या देवी हुई। भगवान महतो अपने पिछे दो पुत्र दिनेश कुमार महतो एवं भवेश कुमार महतो को छोड़कर फौत कर गये। उनका आगे कथन है कि लखीराम महतो, ठाकुर महतो, जयराम महतो एवं काशीराम महतो के द्वारा उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में टाईटल सूट नं0–9/1947 दायर किया गया था। उक्त टाईटल सूट नं0–9/1947 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध टाईटल अपील नं0–41/1947 दायर किया गया था। उक्त अपील वाद भी खारिज कर दिया गया था। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता चन्द्रमोहन महतो के द्वारा सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में आपत्ति वाद सं0–302/2016 दायर किया गया था। उक्त वाद को भी खारिज कर दिया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण को पूर्ण जानकारी है कि उत्तरवादीगण मो0 धुंधिया के पुत्र एवं पोता गण है। सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी शिविर, गोड्डा के टी0एल0 नं0–01/96 से भी स्पष्ट होता है कि मो0 धुंधिया के पति केदार महतो है एवं उत्तरवादीगण मो0 धुंधिया के पुत्र एवं पोता है। अपीलकर्त्तागण के द्वारा जमीन हड़पने के नियत से तथ्यों को छिपाया जा रहा है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादीगण जमीन का जोत

आबाद वर्ष 1933 ई0 से करते आ रहें हैं तथा उत्तरवादीगण का नाम वर्तमान तसदीक सर्वे में भी दर्ज हो गया है तथा मालगुजारी रसीद का भुगतान लगातार करते आ रहें हैं। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–176/रा0 दिनांक–23.01.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–मुरलीडीह किता थाना सं0–523 के जमाबंदी सं0–03 कुल खतियानी रकवा 10–08–14 धुर जमीन जमाबंदी रैयत गजाधर महतो वल्द सुरज महतो कौम कुरमी सा0 देह के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–260/31–32 राजा के0एन0 सिंह बनाम भगलू महतो वगै0 द्वारा उक्त जमाबंदी के अंदर रकवा 03–00–00 धुर भुमि मो0 धुंधिया जौजे मोसाफिर महतो सा0–बिलारी को उच्छेदी से प्राप्त हुआ है तथा पंजी–II में खाता सं0–03/32 में दर्ज है। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी के बीच उक्त भूमि का स्वत्व का विवाद है। अपीलकर्त्ता चन्द्रमोहन महतो वगै0 मौजा–मुरलीडीह किता के जमाबंदी सं0–03 के जमाबंदी रैयत गजाधर महतो का परपोता है। मौजा–मुरलीडीह किता थाना सं0–523 पंजी–II खाता सं0–03/32 के पंजी–II रैयत मो0 धुंधिया पति मुसाफिर महतो को कोई संतान नहीं था। मो0 धुंधिया ने पुनः विवाह मौजा–मुरलीडीह के केदार महतो के साथ किया। धुंधिया देवी एवं केदार महतो से दो पुत्र क्रमशः भगवान महतो एवं रूपनारायण महतो तथा एक पुत्री कौशिल्या देवी हुए। रूपनारायण महतो अभी जीवित है तथा भगवान महतो को दो पुत्र दिनेश महतो एवं डब्लू महतो है, जो उत्तरवादी है। इस प्रकार विपक्षी को उक्त जमीन मो0 धुंधिया के वंशज के आधार पर प्राप्त है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी के दखल/जोत आबाद में है एवं पंजी–II के अनुसार उक्त जमीन का मालगुजारी रसीद भी उत्तरवादी के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि मौजा–मुरलीडीह जमाबंदी सं0–3 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गजाधर महतो के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अंदर रकवा 03–00–00 बीधा भूमि मो0 धुंधिया जौजे मुसाफिर महतो साकिन–बेलारी को उच्छेदी से प्राप्त हुआ है। पंजी–II में खाता सं0–03/32 दर्ज है। मौजा–मुरलीडीह थाना नं0–523 पंजी–II खाता

संख्या–03/32 रैयत मो0 धुंधिया पति मुसाफिर महतो को कोई संतान नहीं था। मो0 धुंधिया ने मौजा–मुरलीडीह के केदार महतो के साथ शादी किया। धुंधिया देवी पति केदार महतो से दो पुत्र क्रमशः भगवान महतो वो रूपनारायण महतो तथा एक पुत्री कौशिल्या देवी हुई। रूपनारायण महतो अभी जीवित है। भगवान महतो को दो पुत्र दिनेश महतो एवं डब्लू महतो है जो उत्तरवादी है। इस प्रकार उत्तरवादी को उक्त जमीन मो0 धुंधिया के वंशज के आधार पर प्राप्त है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी जोत आबाद कर रहें हैं तथा जमीन का मालगुजारी रसीद प्राप्त किया जा रहा है तथा दखल भी प्राप्त है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मौजा–मुरलीडीह जमाबंदी सं0–03 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गजाधर महतो वल्द सूरज महतो के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी का मालगुजारी राशि बकाया होने के कारण भगलू महतो, जयराम महतो एवं काशीराम महतो को उच्छेद किया गया एवं मो0 धुंधिया के द्वारा बकाया मालगुजारी का राशि का भुगतान किये जाने के कारण मो0 धुंधिया के साथ उच्छेदी वाद सं0–260/31–32 के आदेश 28.03.33 के द्वारा उक्त जमाबंदी सं0–03 के अन्तर्गत रकवा 03–00–00 धुर जमीन की बंदोवस्ती की गयी है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन एवं विज्ञ सरकारी वकील के मंतव्य से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तरवादीगण मो0 धुंधिया के पुत्र एवं पोता है। इस प्रकार वर्तमान मामला अवैध हस्तान्तरण से संबंधित मामला प्रतीत नहीं होता है और ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकूल प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–84/15–16 में दिनांक–13.05.2017 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

डी॰नी॰ सं॰ 113/नि॰ दिनांक 21/05/1

लिखाया एवं शुद्ध किया।

20/05/17

उपायुक्त,
गोड्डा।

20/05/17

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 12:00:18 +05:30
Location: 192.168.29.31

RMA No. 40-2017-18